



उत्तर प्रदेश आवास एवं विकास परिषद

कार्यालय अधीक्षण अभियंता, वृन्दावन वृत्त,

भूतल, हॉल सं0-2 ऑफिस काम्प्लेक्स, वृन्दावन योजना, लखनऊ

E-mail: circlevrinda@upavp.com



पत्र सं: 3467

/ M-13 / 271

दिनांक: 25/8/25

अल्पकालीन ई-निविदा सूचना

अधोहस्ताक्षरकर्ता द्वारा परिषद की ओर से उ0प्र0 आवास एवं विकास परिषद में निर्धारित श्रेणी में पंजीकृत ठेकेदारों से अल्पकालीन ई-निविदा एकल बिड पद्धति से दिनांक 12.09.2025 को अपरान्ह 3:00 बजे तक <https://etender.up.nic.in> पर आमंत्रित की जाती हैं, जिसकी बिड्स दिनांक 12.09.2025 अपरान्ह 3:30 बजे सम्बन्धित खण्ड कार्यालय में उपस्थित निविदादाताओं अथवा उनके अधिकृत प्रतिनिधियों के समक्ष खोली जायेगी। कार्य की मात्राएं बी0ओ0क्यू0 के अनुसार होंगी।

क्र. सं.	कार्य का विवरण	कार्य की अनुमानित लागत (रु0 लाख में)	धरोहर धनराशि (रु0 लाख में)	निविदा प्रपत्र का मूल्य (रु0 में)	कार्य पूर्ण करने की अवधि	संबंधित खण्ड का नाम
1.	वृन्दावन योजना संख्या-3 व 4 में उत्सर्जित ठोस अपशिष्ट प्रबन्धन हेतु डोर-टू-डोर कलेक्शन, ट्रान्सपोर्ट एवं प्रोसेसिंग का कार्य। (तृतीय आमन्त्रण)	12.00	0.24	1000.00 + GST (18%)	(एकल बिड) 06 माह	अधि0 अभि0, निर्माण खण्ड लखनऊ-04
2.	वृन्दावन योजना संख्या-3 व 4 लखनऊ में निर्मित ट्रंक सड़कों की नियमित सफाई, सड़कों की पटरियों की जंगल सफाई एवं कूड़ा/मलवा को कलेक्शन प्वाइन्ट तक पहुँचाने का कार्य। (तृतीय आमन्त्रण)	42.40	0.85	1500.00 + GST (18%)	(एकल बिड) 06 माह	
3.	वृन्दावन योजना संख्या-2, सेक्टर-9बी में निर्मित (G+5) आफिस काम्प्लेक्स की साफ-सफाई का कार्य। (तृतीय आमन्त्रण)	6.00	0.12	500.00 + GST (18%)	(एकल बिड) 06 माह	
4.	वृन्दावन योजना संख्या-2, लखनऊ के सेक्टर-9बी में संचालित आफिस काम्प्लेक्स (G+5) में सुरक्षा सम्बन्धी कार्य। (तृतीय आमन्त्रण)	7.50	0.15	500.00 + GST (18%)	(एकल बिड) 06 माह	

ई-निविदा आमन्त्रण सूचना प्रकाशन की तिथि	दिनांक 26.08.2025	निविदा से सम्बन्धित प्रपत्र का मूल्य व धरोहर धनराशि अलग-अलग RTGS/NEFT/ONLINE के माध्यम से निम्न विवरण के अनुसार निविदा खुलने की तिथि से एक दिन पूर्व निर्धारित खण्ड कार्यालय के खाते में जमा किया जाना होगा। वॉछित धनराशि खाते में जमा होने की पुष्टि के उपरान्त ही निविदा पर विचार किया जायेगा। खाते का विवरण निम्नवत् है— Name of A/C Holder - EX.ENG.CD.Lko-04, U.P.A.V.P. VRINDAVAN YOJNA LUCKNOW A/C No. 681510110001374 IFSC Code No. BKID0006815 Name of Bank-Bank of India, Subhani Khara, Lucknow
निविदा/प्रपत्र अपलोड करने की तिथि	दिनांक 28.08.2025	
निविदा/प्रपत्र डाउनलोड करने की तिथि एवं समय	दिनांक 28.08.2025 को अपरान्ह 12:00 बजे से दिनांक 12.09.2025 अपरान्ह 03:00 बजे तक	
बिड अपलोड करने की तिथि एवं समय	दिनांक 28.08.2025 को अपरान्ह 12:00 बजे से दिनांक 12.09.2025 अपरान्ह 03:00 बजे तक	
बिड खोलने की तिथि व समय	दिनांक 12.09.2025 अपरान्ह 3:30 बजे	

नियम व शर्तें

- निविदा प्रपत्र/धरोहर धनराशि के मूल्य से सम्बन्धित RTGS/NEFT के यू0टी0आर0 के नम्बर की छायाप्रति निविदा प्रपत्र के साथ अपलोड भी किया जाना आवश्यक होगा।
- निविदा प्रपत्र परिषद की वेबसाइट <https://upavp.in> के निविदा लिंक पर तथा उत्तर प्रदेश इलेक्ट्रानिक कॉरपोरेशन की वेबसाइट <http://etender.up.nic.in> पर देखे जा सकते हैं। इस निविदा सूचना में अंकित कार्यों के संबंध में संशोधन इत्यादि से संबंधित विवरण /सूचना का प्रकाशन परिषद की वेबसाइट <https://upavp.in> एवं ई-निविदा वेबसाइट <http://etender.up.nic.in> पर किया जायेगा। इच्छुक ठेकेदार/निविदादाताओं से अपेक्षा की जाती है कि वह समय-समय पर इन वेबसाइट से सूचना प्राप्त कर लें।

क्रमशः.....2/-

3. परिषद में उपर्युक्त कार्य हेतु परिषद में पंजीकरण की बाध्यता नहीं होगी।
4. निविदाओं की बीओ0क्यू0 में अंकित कार्यों की मात्रा एवं मदों में परिवर्तन किसी भी सीमा तक कम या अधिक हो सकता है, जिसके लिये ठेकेदार/फर्म का कोई क्लेम मान्य नहीं होगा। निविदा डालने से पूर्व ठेकेदारों/फर्मों से अपेक्षा की जाती है कि वे स्थल निरीक्षण कर लें, बाद में स्थल से सम्बन्धित कोई क्लेम मान्य नहीं होगा।
5. निविदा की स्वीकृति की दशा में अनुबन्ध हेतु शासन द्वारा निर्धारित मानक व निविदा की लागत के अनुसार आवश्यक धनराशि के स्टैम्प अनुबन्ध हेतु प्रस्तुत करने होंगे। उक्त हेतु अनुबन्ध गठन के समय रू0 10/- के नान जुडिशियल स्टैम्प पेपर पर शपथ पत्र देना होगा।
6. निविदादातों/फर्म को निविदा स्वीकृति की दशा में कार्य की कुल लागत का 10 प्रतिशत जमानत धनराशि किसी राष्ट्रीयकृत बैंक से निर्गत एफ0डी0आर0 के रूप में सम्बन्धित खण्ड के अधिशासी अभियन्ता के पक्ष में बंधक बनाकर जमा करनी होगी।
7. अनुबन्ध गठन की प्रक्रिया या उसके उपरान्त यदि संज्ञान में आता है कि सम्बन्धित ठेकेदार/फर्म सक्रिय रूप से माफिया गतिविधियों, असामाजिक कार्यों एवं संगठित अपराधिक गतिविधियों में लिप्त है तो उसके साथ किया गया अनुबन्ध निरस्त कर दिया जायेगा एवं दण्ड के रूप में उसकी धरोहर धनराशि जब्त करते हुये उसका नाम काली सूची में डाल दिया जायेगा।
8. निविदादाता/फर्म द्वारा बिड में अपलोड किये गये समस्त दस्तावेज/प्रमाण पत्र सक्षम स्तर से निर्गत ही मान्य होंगे। निविदादाता/फर्म द्वारा बिड में दिये गये दस्तावेजों/प्रमाण पत्रों के गलत पाये जाने पर निविदादाता को अयोग्य समझा जायेगा एवं निविदा पर विचार नहीं किया जायेगा। यदि फर्जी/गलत दस्तावेजों की जानकारी अनुबन्ध गठन के बाद होती है तो अनुबन्ध उसी समय निरस्त करते हुये दण्ड के रूप में धरोहर धनराशि जब्त करते हुये उसका नाम काली सूची में डाल दिया जायेगा।
9. निविदादाता फर्म को जी0एस0टी0, आयकर एवं श्रम विभाग में पंजीकृत होना संबंधी प्रमाण पत्र अपना इस आशय का शपथ पत्र अपलोड करना होगा।
10. बीओ0क्यू0 की दरों में जी0एस0टी0 को छोड़कर अन्य समस्त कर सम्मिलित हैं। जी0एस0टी0 नियमानुसार अतिरिक्त देय होगी।
11. यदि किसी कारणवश निविदा सूचना में उल्लिखित तिथि को अवकाश हो जाता है तो निविदा अगले कार्य दिवस में खोली जायेगी।
12. उक्त कार्यों के लिए निविदा प्रपत्र हेतु निविदादाता को डिजिटल हस्ताक्षर प्रमाण पत्र (डी0एस0सी0) किसी प्रमाणित/प्राधिकृत संस्था द्वारा निर्गत किया होना आवश्यक है।
13. जी0पी0डब्लू0-9 फार्म अनुबन्ध का हिस्सा होगा। अन्य नियम व शर्तें निविदा प्रपत्र के अनुरूप होगी।
14. कार्य निर्धारित अवधि में पूर्ण करना होगा। कार्य की साप्ताहिक प्रगति निर्धारित साप्ताहिक प्रगति चार्ट के अनुसार होनी चाहिये। प्रगति का आंकलन प्रत्येक सप्ताह के अन्त में किया जायेगा। विलम्ब की दशा में ठेकेदार को अगले सप्ताह के अन्त तक निर्धारित कम्प्लेटिव प्रगति प्राप्त करना अनिवार्य होगा अन्यथा अनुबन्ध निरस्तीकरण की कार्यवाही की जा सकती है जिसके लिये ठेकेदार/फर्म का कोई क्लेम मान्य न होगा।
15. शासनादेश संख्या 622/2372-12-2012-2 ऑडिट/08टी0सी0-2 लोक निर्माण विभाग-12 दिनांक 08.06.2012 के क्रम में मुख्य अभियन्ता (म0) के पत्रांक 4196/निविदा/18 दिनांक 14.09.2018 एवं 3451/निविदा/2023 दिनांक 20.10.2023 में दी गयी व्यवस्था के अनुरूप बिलों (Below) दर निविदा के मामले में वॉछित परफार्मेन्स गारन्टी की धनराशि एल-1 निविदादाता द्वारा जमा किये जाने के पश्चात् ही स्वीकृति की कार्यवाही की जायेगी। अन्यथा की स्थिति में धरोहर धनराशि जब्त करते हुये कार्यवाही की जायेगी।
16. शासनादेश संख्या 622/2372-12-2012-2 ऑडिट/08टी0सी0-2 लोक निर्माण विभाग-12 दिनांक 08.06.2012 के अनुसार बीओ0क्यू0 की दरों से Below दर देने पर ठेकेदार द्वारा अतिरिक्त सिक्वोरिटी/परफार्मेन्स धनराशि निम्न विवरण के अनुसार देय होगी-
(क) 10% Below तक दर पर 0.50% प्रति 1.00% कम (Below) दर पर।
(ख) 10% से अधिक Below दर पर 1.00% प्रति 1.00% कम (Below) दर पर।
17. सक्षम अधिकारी को कोई भी अथवा समस्त निविदायें बिना कारण बताये निरस्त करने का अधिकार सुरक्षित है जिसके सम्बन्ध में कोई भी क्लेम मान्य न होगा।
18. उ0प्र0 शासन/जिला प्रशासन द्वारा निर्माण कार्य से सम्बन्धित कोविड-19 अथवा अन्य किसी भी प्रकार के अन्तर्गत दिये गये निर्देशों का शतप्रतिशत अनुपालन सुनिश्चित किया जाना होगा।
19. एन0जी0टी0 सम्बन्धी नियमों का अनुपालन किये जाने हेतु निविदादाता फर्म द्वारा स्टैम्प पेपर पर शपथ पत्र दिया जाना अनिवार्य होगा।
20. जिलाधिकारी द्वारा निर्गत वैध चरित्र प्रमाण पत्र ई-निविदा में अपलोड करना अनिवार्य होगा।
21. कार्य स्थलों का निरीक्षण निविदादाता को निविदा अपलोड करने से पूर्व करना होगा, बाद में किसी प्रकार की आपत्ति मान्य नहीं होगी।
22. उक्त कार्यों हेतु वाछित समस्त अनापत्ति प्रमाण-पत्र फर्म द्वारा स्वयं प्राप्त करने होंगे, जिसका शपथ पत्र निविदा में अपलोड करने पर ही निविदा मान्य होगी।

क्रमांक-1 के कार्य हेतु प्रभावी शर्तें

23. समस्त कार्य/संचालन सालिड वेस्ट मैनेजमेन्ट रूल्स-2016(यथासंशोधित) के अनुसार एवं गुणवत्तायुक्त करना आवश्यक होगा।

क्रमशः.....3/-

24. घरों से संग्रहीत कूड़े को निर्धारित स्थानान्तरित स्थलों पर निर्धारित स्थानान्तरण स्थलों से प्रोसेसिंग प्लान्ट तक कूड़ा ले जाने का दायित्व निविदादाता का होगा।
25. जिलाधिकारी/सक्षम अधिकारी द्वारा कम से कम निर्गत रू0 5.00 लाख की हैसियत प्रमाण पत्र की प्रति अपलोड करना अनिवार्य होगा।

कमांक-2 के कार्य हेतु प्रभावी शर्तें

26. जिलाधिकारी/सक्षम अधिकारी द्वारा कम से कम निर्गत रू0 20.00 लाख की हैसियत प्रमाण पत्र की प्रति अपलोड करना अनिवार्य होगा।

कमांक-3 के कार्य हेतु प्रभावी शर्तें

27. एजेन्सी को आफिस कामप्लेक्स से निकले कूड़े का डिस्पोजल स्वयं के व्यय पर निर्देशित स्थान पर कराना होगा।
28. जिलाधिकारी/सक्षम अधिकारी द्वारा कम से कम निर्गत रू0 5.00 लाख की हैसियत प्रमाण पत्र की प्रति अपलोड करना अनिवार्य होगा।

कमांक-4 के कार्य हेतु प्रभावी शर्तें

29. जिलाधिकारी/सक्षम अधिकारी द्वारा कम से कम निर्गत रू0 5.00 लाख की हैसियत प्रमाण पत्र की प्रति अपलोड करना अनिवार्य होगा।
30. फर्म का सिक्वोरिटी कम्पनी संचालित करने के संबंध में नियमानुसार अद्यतन प्राइवेट सिक्वोरिटी एजेन्सीज (रेगुलेशन) अधिनियम-2005 (PSARA) के अंतर्गत पंजीकरण होना अनिवार्य है। पंजीकरण प्रमाण पत्र की प्रति ई-टैण्डर वेबसाइट पर अपलोड किया जाना होगा।
31. सशर्त निविदा मान्य नहीं होगी।

(पी0क0 सिंह)
अधीक्षण अभियन्ता

पृ0सं0 3467 / M-13 / 271

दिनांक- 25/8/25

प्रतिलिपि-निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

- 1- मुख्य अभियन्ता (म0), उ0प्र0. आवास एवं विकास परिषद, 104 महात्मा गाँधी मार्ग, लखनऊ।
- 2- अधीक्षण अभियन्ता-अवध विहार/लखनऊ/अयोध्या/बागपत/बुंदेलखण्ड/गाजियाबाद वृत्त/गोरखपुर/वाराणसी/कानपुर/मेरठ/प्रयागराज/रुहेलखण्ड/विद्युत वृत्त, उ0प्र0 आवास एवं विकास परिषद।
- 3- अधिशासी अभियन्ता, निर्माण खण्ड लखनऊ-1/2/4/5, उ0प्र0 आवास एवं विकास परिषद, लखनऊ।
- 4- इंचार्ज, कम्प्यूटर सेल, उ0प्र0 आवास एवं विकास परिषद, 104 महात्मा गांधी मार्ग, लखनऊ को निविदा सूचना परिषद की वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु।
- 5- सहायक अभियन्ता (तक0), वृन्दावन वृत्त, लखनऊ।
- 6- नोटिस बोर्ड।

अधीक्षण अभियन्ता